

## इलाहाबाद विकास प्राधिकरण

पत्रांक : 184 / प्र० ३० (भवन) / जोन-२ / L.O.P / 2010-11 दिनांक 11/08/2015

### अनुमति-पत्र

यह अनुमति उ०प्र० नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 व 15 के अन्तर्गत दी जाती है, किन्तु अर्थ यह न समझना चाहिये कि उस भूमि के सम्बन्ध में जिस पर भू-विन्यास मानचित्र स्वीकृत किया जा रहा है, इससे किसी प्रकार या किसी स्थानीय निकाय या इसका स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई असर पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति किसी के मिलिक्यत या स्वामित्व के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रखेगी।

सैनिक वेलफेर आर्गनाईजेशन, श्री मेवा लाल, शिखर एग्रोटेक प्राप्लि० द्वारा आराजी सं०-४, ५, ११, १२, १३, १४, १५, ३८, ३९, ४०ए, ४२ (पार्ट), ४३ (पार्ट), ६४ ग्राम-बजहौं पीपलगाँव, परगना एवं तहसील-सदर, जिला इलाहाबाद (क्षेत्रफल 36924.84 वर्गमीटर) जोन संख्या (2) के अन्तर्गत भू-विन्यास मानचित्र की स्वीकृति/निर्गमन उपाध्यक्ष महोदय के अनुमोदनादेश दिनांक 29-07-2017 के क्रम में निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है :-

- शासनादेश संख्या-/आठ-१-विकास व्यय/2008 दिनांक फरवरी, 2008 के प्राविधानो के क्रम में अवशेष 60% बाह्य विकास शुल्क रु० 2,01,60,963.00 की धनराशि ०६ छमाही किश्तों में 11% ब्याज सहित प्रति किश्त रु० 40,35,800.00 निर्धारित समयावधि के अन्दर जमा करनी होगी। किश्तों की अदायगी का शेड्यूल निम्नवत् है :-

• प्रथम किश्त	दिनांक 28 फरवरी, 2015	रु० 40,35,800.00
• द्वितीय किश्त	31 अगस्त, 2015	रु० 40,35,800.00
• तृतीय किश्त	31 जनवरी, 2016	रु० 40,35,800.00
• चतुर्थ किश्त	31 जुलाई, 2016	रु० 40,35,800.00
• पंचम किश्त	31 जनवरी, 2017	रु० 40,35,800.00
• छठवीं एवं अन्तिम किश्त	31 जुलाई, 2017	रु० 40,35,800.00

ज्ञातव्य है कि प्रथम किश्त की धनराशि रु० 40,35,800.00 आप द्वारा प्राधिकरण में जमा किया जा चुका है। शेष ०५ किश्तों की धनराशि निर्धारित समयावधि के अन्दर जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जाय, अन्यथा दण्ड ब्याज भी देय होगा।

- बाह्य विकास शुल्क की धनराशि जमा कराये जाने की प्रतिभूति के रूप में भू-विन्यास मानचित्र में भूखण्ड संख्या-107, 108, 109, 110, 111, 133, 134, 135, 136, 137, 141, आराजी सं०-८५, ८६, ८९ (क्षेत्रफल 1695.15 वर्गमीटर) जो मानचित्र पर पीले रंग से दर्शित है का विक्रय, हस्तान्तरण प्रतिबन्धित होगा जो बाह्य विकास शुल्क की सम्पूर्ण धनराशि जमा होने पर अवमुक्त की जायेगी।
- कम्पनी द्वारा आन्तरिक विकास व्ययानुमान रु० 1,79,20,000.00 का प्रस्तुत किया गया है, शासनादेश संख्या-/आठ-१-विकास व्यय/2008 दिनांक फरवरी, 2008 के क्रम में प्रोजेक्ट के अनुसार 10% धनराशि रु० 17,92,200.00 के समतुल्य भूखण्ड प्राधिकरण के पक्ष में भूखण्ड 106 (क्षेत्रफल 160.04 वर्गमीटर) चिन्हित किया गया है, जिसकी बन्धक डीड दिनांक 04.08.2015 को उप-निबन्धक कार्यालय में पंजीकृत हुयी है। भूखण्ड सं०-१०६ (क्षेत्रफल 160.04 वर्गमीटर) का विक्रय/हस्तान्तरण पूर्णतया निषिद्ध होगा।
- पंजीकृत बन्धक डीड दिनांक 04.08.2015 में अंकित शर्तों का अनुपालन अक्षरशः बाध्यकारी होंगी।

  
11.8.2015

5. आन्तरिक विकास में निम्नांकित कार्य कम्पनी/विकासकर्ता को करना अनिवार्य होगा :—
  - भूमि का समतलीकरण।
  - बरसाती नाले एवं नालियों का निर्माण।
  - आन्तरिक सड़कों का निर्माण।
  - ट्रॉबेल का निर्माण।
  - विद्युत की व्यवस्था।
  - जल—मल निस्तारण व्यवस्था।
  - पार्क का विकास, आदि।
  - मानचित्र में दर्शित गारवेज (कूड़ा एकत्रीकरण रथल) का अन्य उपयोग नहीं किया जायेगा।
6. आन्तरिक विकास व्यय में यदि कोई बढ़ोत्तरी होती है तो उसका वहन कम्पनी/विकासकर्ता को करना होगा तथा मानक के अनुसार विकास कार्य कराना होगा।
7. बाह्य विकास शुल्क की गणना एफ०ए०आर० 1.00 पर किया गया है। भूखण्डों के मानचित्र स्वीकृत के समय भूखण्ड स्वामी से एफ०ए०आर० 1.00 से अतिरिक्त आच्छादन पर मानचित्र स्वीकृत के समय देय होगा।
8. समस्त भूखण्ड आवंटियों/स्वामी को इ०वि०प्रा० से नियमानुसार मानचित्र स्वीकृत कराना होगा।
9. पार्क का विकास प्रस्तावना के अनुरूप करना होगा।
10. रेनवाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली विकसित किये जाने के सापेक्ष जमा एफ०डी०आर० रु० 29,74,103.00 रथल पर स्वीकृत प्रस्तावना के अनुसार रेनवाटर हार्वेस्टिंग का कार्य पूर्ण होने तथा भू—गर्भ जल बोर्ड की अनापत्ति प्राप्त होने के पश्चात् ही नियमानुसार अवमुक्त की जायेगी। एकल आवासीय भूखण्डों पर रेनवाटर हार्वेस्टिंग विकसित कर कनेक्टिविटी की जिम्मेदारी भूखण्ड धारकों की होगी।
11. स्थल पर 200 वृक्ष लगाने होगे तथा वृक्षों को हरा—भरा रखना एवं उचित रख—रखाव की जिम्मेदारी विकासकर्ता/रेजीडेन्ट सोसायटी की होगी।
12. मुख्य अभियन्ता—विद्युत इलाहाबाद की अनापत्ति पत्र संख्या—2802/मु०अ०(वि०)/इ०क्ष००/पी—२(मानचित्र) दिनांक 24.06.2015 में अंकित प्रतिबन्धों का अक्षरशः अनुपालन करना होगा। (छायाप्रति संलग्न)
13. उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद की अनापत्ति पत्र संख्या—195/डब्लू०/एन०ओ०सी०/इला० दिनांक 03.07.2015 में अंकित प्रतिबन्धों का अक्षरशः अनुपालन करना होगा। (छायाप्रति संलग्न)
14. विद्युत कनेक्शन एवं ट्रान्सफार्मर स्थापना पर होने वाले व्यय की जिम्मेदारी कालोनाईजर की होगी।
15. स्थल पर 4X3 फिट का एक बोर्ड लगाकर प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत मानचित्र सम्बन्धी विवरण अंकित करना अनिवार्य होगा, जिसमें आर्किटेक्ट/इन्जीनियर के फर्म का नाम भी अंकित हो।
16. उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15ए (1) के प्राविधानों के अनुरूप पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात् ही उपभोग/अधिभोग किया जायेगा, भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 में उपविधि संख्या—2.1.8 एवं 3.1.8 में निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।

17. मानचित्र की स्वीकृति 169 आवासीय भूखण्ड + सुविधा-जनक दुकानों हेतु (1892.51 वर्गमीटर) है। अतिरिक्त इकाईयों का सृजन/विभाजन अनुमन्य नहीं होगा।
18. भूखण्ड सं0-123, 128, 129, 132, 160 भूखण्डों के फन्ट सेट बैक CURVE में होंगे।
19. निर्माण प्रारम्भ करने से पूर्व पर्यावरणीय अधिनियमों में उल्लिखित प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा नियमानुसार पर्यावरण की N.O.C निदेशक, डायरेक्टर आफ इनवायरमेन्ट, उत्तर प्रदेश, विभूति खण्ड, लखनऊ से प्राप्त किया जाना आवश्यक है एवं पूर्णता प्रमाण-पत्र प्रमाण पत्र के पूर्व प्राधिकरण में जमा करना होगा।
20. पूर्णता प्रमाण-पत्र प्रमाण पत्र करने से पूर्व क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनापत्ति प्राप्त कर इ0वि�0प्रा0 को उपलब्ध कराना होगा।
21. निर्माण/विकास कार्य पूर्ण होने के उपरान्त, सभी आवश्यक Mandatory Clearances/N.O.C की शर्ते पूर्ण करने के पश्चात्, निर्गत किये जाने वाले 'पूर्णता प्रमाण-पत्र' प्राप्त करने के बाद ही इस परिसर को वास्तविक उपयोग में लाया जा सकेगा।
22. माननीय न्यायालय में कोई वाद होने अथवा उत्पन्न होने की स्थिति में प्रदत्त स्वीकृति माननीय न्यायालय के अधीन होगी, स्वामित्व सम्बन्धी किसी भी विवाद पर मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
23. विभिन्न समय पर जारी शासनादेश व नियमों का पालन करना होगा तथा प्राधिकरण यदि कोई शुल्क आरोपित करता है तो उसे पक्ष को जमा करना होगा।
24. यदि आवेदक द्वारा कोई महत्वपूर्ण सूचना छिपायी गयी है अथवा गलत सूचना दी गयी है तो उ0प्रा0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15 (9) के अन्तर्गत मानचित्र निरस्त करने योग्य होगा।
25. यदि भूखण्डों का उप-विभाजन अथवा पार्क एवं रोड इत्यादि का अतिक्रमण विकासकर्ता द्वारा किया जाता है तो इ0वि�0प्रा0 द्वारा नियमानुसार उ0प्रा0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।
26. यह स्वीकृत पत्र केवल पाँच वर्ष की अवधि के लिए है।
27. यदि निर्माण में मास्टर प्लान का उल्लंघन होता पाया गया तो निर्माणकर्ता को दी गई स्वीकृति रद समझी जायेगी और किया गया निर्माण अनधिकृत घोषित कर उक्त अधिनियम की धारा 27 (1) के अन्तर्गत कार्यवाही आरम्भ की जायेगी।

(गुडाकेश शर्मा)  
संयुक्त सचिव

25/1

PROPOSED LAYOUT PLAN OF ARAZI No. 04, 05, 11, 12, 13, 14, 15, 38, 39, 40A, 42(Part), & 64 MAUZA- BAJHA,  
PEEPAL GAON ROAD,PARGANA AND TEHSIL- SADAR, DISTRICT-ALLAHABAD.

